न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/29/2023	2023/329	23.06.2023	11.03.2024

1. विजय कुमार ओरावाल पुत्र कालुराम जाति खटीक, उम्र करीब 47 साल, निवासी ग्राम बीजवाड खटीकों का मौहल्ला, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर।

अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 18.12.2001 नामान्तकरण संख्या 308 वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा।

उपस्थितः–

01. श्री गौरव शर्मा – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 18.12.2001 नामान्तकरण संख्या 308 वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि इन्तकाल संख्या 308 का निर्णय दिनांक 18.12.2001 को फरमाया गया है जिसमें अपीलान्ट का नाम सहवन से विजय कुमार के स्थान पर विजेन्द्र दर्ज किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14.06.2023 को हुई जबकि पटवारी हल्का ने बताया कि इन्तकाल के अन्दर तुम्हारा नाम विजेन्द्र दर्ज है कि जानकारी अपीलान्ट को 14.06.2023 को हुई तब अपीलान्ट ने दिनांक 21.06.2023 को नकल प्राप्त हुई जिससे यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। रामसहाय पुत्र भीमा खटीक जो की अपीलान्ट का दादा था आराजी ख0न0 340 रकबा 0.01 है0, 341 रकबा0.39 है0, 342 रकबा 0.47 है0, 1897 रकबा 0.34 है0, 1898 रकबा 0.33 है0 कुल किता 5 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम बीलवाड का खातेदार था। रामसहाय पुत्र भीमा खटीक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस किशोरीलाल सोदान, रामचन्द्र, कालुराम, धुपाबाई, भागली व सोमोती पुत्र पुत्रियान हुए जिनमें से कालुराम का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान हरीप्रसाद, विजय कुमार पुत्रान कालुराम व रामोती चुकीवाई पुत्रियान कालुराम हुए। अपीलान्ट का नाम सहवन से विजय कुमार के स्थान पर विजेन्द्र दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड मे भी विजेन्द्र दर्ज है जबकि वास्तव में विजय कुमार दर्ज होना चाहिए था। अपीलान्ट का आधार कार्ड संख्या 640884937129, पहचान पत्र , ई–श्रम कार्ड सख्या 781809742623, आर0सी0, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली बिल, जन आधार कार्ड व ग्राम पंचायत बीजवाड के प्रमाण पत्र से यह भली भांति जाहिर है की अपीलान्ट का नाम विजय कुमार है। अपीलान्ट का नाम विजय कुमार होने से अपीलान्ट को भारी नुकसान है जवकि अपीलान्ट का नाम वास्तव में विजय कुमार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 308 दिनांक 18.12.2001 में अपीलान्ट का नाम विजेन्द्र के स्थान पर विजय कुमार दर्ज किए जाने कि आज्ञा सादिर फरमाई जावे तथा राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल के बाद जो अपीलान्ट का नाम विजेन्द्र के स्थान पर विजय कुमार किए जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में आधार कार्ड 640884937129, पहचान पत्र WHH/0594523, ई–श्रम कार्ड 781809742623, आर0 सी0 आर0जे0–32–यूए–6793, राशन कार्ड संख्या 007286701659, पैन कार्ड ACQP03226N, जन आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र 19244870269, बैंक पास बुक राजस्थान ग्रामीण बैंक व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बीजवाड प्रस्तुत किए गए हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 18.12.2001 को नामान्तकरण संख्या 308 स्वीकार करते समय अपीलान्ट का नाम विजेन्द्र दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कालुराम के वारिसान की मौके पर जाकर समुचित जांच व पहचान नहीं किया जाकर ग्रामवासियान के मुताबिक नामान्तकरण में वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड 640884937129, पहचान पत्र WHH/0594523, ई–श्रम कार्ड 781809742623, आर0 सी0 आर0जे0–32–यूए–6793, राशन कार्ड संख्या 007286701659, पैन कार्ड ACQP03226N, जन आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र 19244870269, बैंक पास बुक राजस्थान ग्रामीण बैंक व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बीजवाड में अपीलान्ट का नाम विजय कुमार ओसवाल दर्ज है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट के आदेश दिनांक 18.12.2001 द्वारा स्वीकार किए गए नामान्तकरण संख्या 308 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट कालूराम की विरासत की हद तक आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालाखेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2001 नामान्तकरण संख्या 308 वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा कालूराम की विरासत की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मालाखेडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कालुराम के वारिसान की जांच कर एवं साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)